

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./42/2024

कमला पत्नी स्व० श्री सीयाराम जाति गुर्जर निवासी सवाईपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी

2. कालू पुत्र श्री स्व० श्री सीयाराम जाति गुर्जर निवासी सवाईपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-15.05.2024

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री महावीर गुर्जर, श्री सुनील कुमार वैष्णव
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा सवाईपुरा पटवार क्षेत्र पड़ांगा भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 70 में दर्ज खसरा नं. 865 रकबा 0.60 और खसरा नम्बर 866 रकबा 0.60 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 1.20 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम सवाईपुरा के खाता संख्या 70 संवत् 2074-2077(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा सवाईपुरा पटवार क्षेत्र पड़ांगा भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 70 में दर्ज खसरा नं. 865 रकबा 0.60 और खसरा नम्बर 866 रकबा 0.60 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 1.20 हैक्ट हेतु नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा को 1000/- रु(एक हजार रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ोसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

9
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

